

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वृत्त, प्रयागराज।

पत्रांक :- 2166 /15-1, दिनांक, प्रयागराज, फरवरी, ८४ 2022।

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक/नोडल अधिकारी
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
उन्नाव।

विषय:- उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में जनपद अमरोहा में प्रभावित 1.68 हे० आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ़ में प्रभावित 1.0749 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 23.552 हे० आरक्षित वनभूमि तथा 6.1746 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 47258 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 हे० आरक्षित वनभूमि तथा 6.4218 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड़ में प्रभावित 2.0342 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायूँ में प्रभावित 4.9257 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहाँपुर में प्रभावित 3.907 हे० आरक्षित एवं बाधक 865 वृक्षों के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 136 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0551 हे० आरक्षित वनभूमि तथा 2.2322 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 138 वृक्षों के पातन अर्थात् परियोजना में प्रभावित 90.6492 हे० आरक्षित वनभूमि तथा 30.8224 हे० संरक्षित वनभूमि कुल 121.4716 हे० वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 167166 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

संदर्भ:- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/०६/295/2021/एफ०सी०/643 दिनांक 17-01-2022।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा उठायी गयी आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण करते हुये प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रतापगढ़ ने अपने पत्रांक 2244/15-1, दिनांक 03-02-2022 द्वारा वांछित सूचना निम्न प्रकार इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है:-

Sr. No	Conditions	Status of Compliance
1	As per Part II area of PT is coming as 30.6453 ha while as per details provided in the proposal it is 30.8224.	जनपद प्रतापगढ़ में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के अन्तर्गत 1.0749 हे० संरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है।
2	Tree felling in Amroha and Pratapgarh district is mismatching with details of Part II uploaded and the details provided in proposal.	जनपद प्रतापगढ़ में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के अन्तर्गत 1.0749 हे० संरक्षित वनभूमि में 2716 वृक्ष बाधक है। संरक्षित वनभूमि में बाधक 2716 वृक्षों को ही पार्ट-2 में अपलोड किया गया है। प्रभावित वृक्षों की सूची संलग्न है (संलग्नक-1)
3	An abstract of tree felling in all the districts needs to be provided.	प्रभावित वृक्षों की सूची संलग्न है। (संलग्नक-1)
4	No objection certificate of concerned departments (Irrigation and Railways) needs to be submitted.	यूपीडा से सम्बन्धित है।
5	Revised NPV calculation as per order dated 06.01.2022 needs to be submitted.	संशोधित एन०पी०वी० गणना संलग्न है। (संलग्नक-2)
6	Plantation scheme for roadside plantation needs to be submitted.	यूपीडा से सम्बन्धित है।
7	As per part II of the proposal, under Social Forestry Division Allahabad and Social Forestry Division Bulandshahar, it is mentioned at column no.10. "Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion Whether the requiemment of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the	इस वन प्रभाग से अपेक्षित नहीं है।

	Project: NIL"	
8	CA scheme and site suitability certificate for CA in DDFL has to be provided.	इस वन प्रभाग से अपेक्षित नहीं है।
9	Why RF cannot be avoided, proper justification needs to be provided.	इस वन प्रभाग से अपेक्षित नहीं है।
10	As per kml file the proposed area for diversion is 50.29 ha., but as per the proposal diversion area is 121.4716 ha., mismatching of the forest area, needs clarification/rectification.	यूपीडा से सम्बन्धित है।
11	.kml file of the complete route proposed for diversion (Forest area as well as Non Foresta rea) needs to be submitted.	यूपीडा से सम्बन्धित है।
12	.kml file of alternate routes needs to be submitted.	यूपीडा से सम्बन्धित है।
13	The NET Suitable area for plantation as per GIS-DSS analysis is 94.78 ha, which is less than the actual required CA land area.	इस वन प्रभाग से अपेक्षित नहीं है।
14	As per the Geo-referenced map of the proposed CA land, GPS "point id" is not mentioned in the Haripur village and Purthiyawan village. This needs rectification.	इस वन प्रभाग से अपेक्षित नहीं है।
15	As per the .kml file, some CA land polygons have been found in scattered forms and also not contiguous to the forest area. There are 44 patches proposed for CA which are of area less than 1 ha. Patches need to be in consolidated form.	इस वन प्रभाग से अपेक्षित नहीं है।
16	Geo-referenced cadastral map of the proposed CA land needs to be submitted.	इस वन प्रभाग से अपेक्षित नहीं है।
17	The proposed CA land patch of Unnao district (Village- Katholi) is partially overlapped with the area proposed for diversion, this needs rectification.	इस वन प्रभाग से अपेक्षित नहीं है।
18	Component-wise breakup of land required for construction of bridges, underpass, public utility centre, toll plaza. Covers over Rivers/ Canals/ Nalas, Pilia, Flyover & Interchanges, etc. needs to be provided.	इस वन प्रभाग से अपेक्षित नहीं है।

अतः उपरोक्तानुसार सूचना/अभिलेख 03 प्रतियों में एतदसह संलग्नकर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भुवदीय,

(बी० आर० अहिरवार)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी वृत्त, प्रयागराज।

संख्या :- 2166 / समदिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, प्रतापगढ़ को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेण्ट अथॉरिटी, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(बी० आर० अहिरवार)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी वृत्त, प्रयागराज।